

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous IVth Bail Application No. 14811/2025

Mansoor Khan S/o Shri Sharif Khan, Aged About 19 Years, R/o Angla Kakad, Village Somalpur, P.s. Ramganj, District Ajmer (Rajasthan) (At Present In Central Jail, Ajmer).

-----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Shyam Bihari Gautam
For Respondent(s)	: Mr. Rishiraj Singh Rathore, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

10/12/2025

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस थाना रामगंज जिला अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 224/2024 अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 452, 307 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ यह चतुर्थ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त की जमानत का तृतीय प्रार्थना-पत्र दिनांक 20.08.2025 को निरस्त किया गया था, उसके पश्चात प्रकरण में चिकित्सक पी0ड05 के रूप में परीक्षित हो चुका है। इस प्रकरण में परीक्षित चिकित्सक विकास ने यह कहा है कि वह रेडियोलॉजिस्ट नहीं है एवं न ही उसने आहत का उपचार किया है। रेडियोलॉजिस्ट एवं आहत का उपचार करने वाले साक्षी को अभियोजन ने साक्ष्य सूची में दर्शित ही नहीं किया गया है। उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित नहीं है। प्रकरण में परिवादी पक्ष के विरुद्ध भी क्रॉस केस दर्ज हुआ है, जिसमें आरोप-पत्र पेश किया गया है। प्रकरण में 15 में से 7 साक्षीगण के कथन लेखबद्ध हो चुके हैं। अभियुक्त दिनांक 20.09.2024 से अभिरक्षा में

चल रहा है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

अपने तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से निम्न न्यायिक विनिश्चय पेश किए गए हैं:-

1. बीरबल उर्फ बल्ला एवं अन्य-बनाम-राजस्थान राज्य
2022(1) सीआरएलआर (राज.) 88
2. सोमा मीना-बनाम-राजस्थान राज्य
2020(1) सीआरएलआर (राज.) 124
3. श्रवण सिंह-बनाम-राजस्थान राज्य
एकलपीठ दाण्डिक विविध द्वितीय जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 11588/2019

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी पर ही रमजान के सिर पर कुल्हाड़ी से मारने एवं रमजान के सिर पर उक्त प्राणघातक चोट कारित करने का आक्षेप है। उसकी जमानत के प्रार्थना-पत्र पूर्व में गुणावगुण पर निरस्त किए गए हैं। चिकित्सक ने चोट का प्राणघातक होना कहा है। प्रकरण की परिस्थितियों में कोई सारवान परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 452, 307 भारतीय दण्ड संहिता के अभियोग हैं। अभियुक्त की जमानत का तृतीय प्रार्थना-पत्र दिनांक 20.08.2025 को निरस्त होने के बाद चिकित्सक साक्षी विकास यादव पी0ड05 के कथन विचारण न्यायालय में लेखबद्ध हुए हैं जिसने आहत रमजान को कारित सिर की चोट का प्राणघातक होना कथन किया है। उक्त चोट कारित करने का आक्षेप प्रार्थी/अभियुक्त पर ही है। उसकी जमानत का तृतीय प्रार्थना-पत्र गुणावगुण पर दिनांक 20.08.2025 को निरस्त किया गया है, उसके पश्चात् अभियुक्त के पक्ष में कोई सारवान परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह चतुर्थ प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J